**भारत सरकार**

**खान मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1062**

**29 जुलाई, 2015 को उत्‍तर के लिए**

**डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनों की स्थापना हेतु नियम**

**1062. श्री अविनाश पांडेः**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कौन-कौन सी राज्य सरकारों ने वर्ष 2015 में यथासंशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनों की स्थापना और उससे संबंधित रायल्टी के भुगतान के संबंध में अभी तक नियम नहीं बनाए हैं; और

(ख) उन राज्यों ने उक्त नियम नहीं बनाने के लिए क्या-क्या कारण बताए हैं?

**उत्‍तर**

**खान एवं इस्‍पात राज्‍य मंत्री (श्री विष्‍णु देव साय)**

(क) एवं (ख) : खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 में नई जोड़़ी गई धारा 9ख के अनुसार जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के गठन और कार्यों के लिए नियम बनाने हेतु राज्‍य सरकारों को अधिकार प्राप्‍त है । सभी राज्‍य सरकारों को तदनुसार आवश्‍यक नियम बनाने की सलाह दी गई है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*